प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 23.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 202/2026, धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सिरपत प्रसाद पुत्र दुर्विजय निवासी ग्राम जिगिना थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मैनसीर पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 21.05.2026 को थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री की हत्या कर घर का ताला बन्द कर कही भाग गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त को आज दिनाँक 23.05.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री दशरथ कुमार, हे0का0 शम्स तबरेज, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 शुभम कुमार, का0 सुदीप कुमार, का0 अरविन्द कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8291 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भिजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 8291 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत टड़वरिया चौराहा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 01. व्यक्ति (विकास पुत्र बिजेन्द्र प्रसाद सा0 उरूवा बाजार थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर) सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी। ।
पीआरवी स्टाफ- का0 अनुज कुमार, हो0गा0 चा0 विनोद पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 695 वाहनों से 7,64,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 695 वाहनों से 7,64,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित मु0अ0सं0 313/2026 धारा 191(2),191(3), 115(2),109,110 बीएनएस में वांछित 06 अभियुक्तगण नाम पता 1. रामसुरेश पुत्र रामशब्द साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 2. सुनील पुत्र जंगली साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 3. जंगली पुत्र रामशब्द साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 4. विजय पुत्र रामबेलास साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 5. सन्तराम पुत्र सीताराम साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर, 6. संदीप पुत्र सीताराम साकिन लौकिहां थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 23.05.2026 को लौकिहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 22.05.2026 को वादी श्री आनन्द राव पुत्र सभाचन्द्र ग्राम लौकिहा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से आवेदक एवं अन्य मजरुबों को मारने पीटने जिससे आवेदक के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 23.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 सोनू पटेल, का0 हरेन्द्र यादव, रि0का0 अभितान्षू सिंह, रि0का0 प्रवेश वर्मा, रि0का0 अजीत यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 147/2026 धारा 137(2), 87, 115(2) बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राजकुमार राजभर पुत्र रामू राजभर निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 23.05.2026 को झुड़िया मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 22.05.2026 को थाना बेलहरकला पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 23.05.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री हरिनाथ मिश्र, हे0का0 विनोद कुमार यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान 5.0* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना मेंहदावल पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 203/2026 धारा 65(1)/352/351(3) बीएनएस तथा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र रामदरश निवासी बढ़या टोला मधईपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 23.05.2026 को मुहिया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 22.05.2026 को थाना मेंहदावल पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 23.05.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- अपराध निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री ओमप्रकाश यादव, का0 विक्रम सिंह।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने को लेकर साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 34,978.97 हजार रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए 01 युवक के क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने को लेकर साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 34,978.97 रुपये को वापस कराया गया। थाना बखिरा साइबर टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मामलें में पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाली गई धनराशि को साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से संबंधित बैंक/ आनलाइन शापिंग प्लेटफार्म से समन्वय स्थापित कर कुल 34,978.97 हजार रु0 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराया गयाहै।
घटना का विवरण: बैंक का कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के लिए जरूरी OTP लेकर पीड़ित दीनानाथ तिवारी पुत्र अर्जुन तिवारी निवासी चुरीयामीर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से 34,978.97/- ट्रांसफर कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33105260108148 पंजीकृत पर संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से पुर्ण धनराशि को रिफंड कराया गया । अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम: व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह, महिला आरक्षी सुमन।
अपील*
☐साइबर अपराधी अक्सर आवाज़ बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
☐किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें।
जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।